न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –37 / 2019 (प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमति इन्द्राज पत्नि श्री महावीर सिंह सिसोदिया, जाति राजपूत, निवासी ग्राम ढींगसी, पंचायत सलावदखुर्द हाल आबाद मकान नम्बर 29, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा ।

––प्रार्थीनी

बनाम

1. नेशनल ऑथोरोटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड जरिये महाप्रबन्धक एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजन कार्यान्वयन ईकाई ए–504, इन्दिरा विहार, कोटा
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डीजिला कोटा (राज0)

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) नेशनल हाईवे ऑथोरिटी एक्ट 1956 एवं धारा 73(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थिति

1. श्री पूरणमल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी–1

निर्णय

दिनांक :–03.12.2019

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) एन.एच.एक्ट 1956 एवं धारा 73(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 12 परियोजना के लिए अवाप्त भूमि के जारी अवार्ड कमांक/भू अवाप्ति/2017/563–66 दिनांक 20.9.2017 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया है ।

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.06.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीया आराजी ख0नं0 142 बन्दोबस्त हाल स्थित ग्राम ढींगसी तह0 रामगंजमण्डी बसमूल दीगर आराजी की खातेदार काश्तकार काबिज है । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया रा0 राजमार्ग संख्या 52) के उनन्यन एवं चौडा करने वास्ते प्रार्थीया की उक्त भूमि की प्राधिकरण को आवश्यकता होने से अधिसूचना दिनांक 7.4.2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई, जिसमें ग्राम रामगंजमण्डी के 22 ग्रामों की 104.4046 हे0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत अधिसूचना से उपाबन्ध विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने की घोषण की गई थी । तत्पश्चात अप्रार्थी सं0 2 ने अवार्ड पारित कर दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीया को कभी नहीं हुई । गांव में इस बाबत जब चर्चा सुनी तो प्रार्थीया ने अपने पति श्री महावीर सिंह सिसोदिया से जिक किया जो कोटा से करीब 500 किलोमीटर दूर कोटपूतली में रहते है । इस पर प्रार्थी के पति ने सक्षम प्राधिकारी अप्रार्थी सं0 2 के कार्यालय में जाकर तलाश किया तो मालूम पडा की प्रार्थीया का कुंआ DIG/L/2 पुख्ता कुंआ जो ख0नं0 142 ग्राम ढींगसी में स्थित है का मूल्य अप्रार्थी सं0 2 द्वारा 388034/– आंका गया किन्तु उस समय अवार्ड की गणना तालिका की नकल प्रार्थीया के पति को उपलब्ध नहीं करवाई गई । इस पर पुनः प्रार्थीया के पति ने गणना तालिका उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल प्राप्त होने पर प्रार्थीया भैचक्की रह गई । प्रार्थीया के पुख्ता कुंए को ट्यूबवेल की दर से मूल्यांकन किया गया है जबकि कुंए में अलग से 300 फीट बोरवेल स्थित था व कुंए में चार होरिजेन्टल बोर 200–200 फीट के है । इस पर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है व कुंए में उतरने के लिये सिढियां भी बनी हुई है । जिनका कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है । प्रार्थीया ने जब ये तथ्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखे तो उन्होंने सलाह दी की श्रीमान के समक्ष याचिका प्रस्तुत करें । जब कुंए की कीमत स्वयं मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ह्रास मूल्य काटकर 388034/–निर्धारित की गई है तो गणना तालिका में इसकी कीमत 184030/–स्वयंमेव गलत है । कुंए में आडे होल वर्टिकल बोर, कुंए की सिढियां, कुंए की कीमत, हरे पेड, आदि की कुल कीमत सोलेशियम सहित 112822298/– बनते है, लिहाजा याचिका मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के प्रकाष में प्रार्थीया को मुआवजा दिलवाने की कृपा करें ।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया, वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 के अभिभाषक व अप्रार्थी 2 की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौराते हुए कथन किया किया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया रा0 राजमार्ग संख्या 52) के उनन्यन एवं चौडा करने वास्ते प्रार्थीया की उक्त भूमि की प्राधिकरण को आवश्यकता होने से अधिसूचना दिनांक 7.4.2017 को भारत के राजपत्र में

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

प्रकाशित की गई, जिसमें ग्राम रामगंजमण्डी के 22 ग्रामों की 104.4046 हे0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत अधिसूचना से उपाबन्ध विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने की घोषण की गई थी । तत्पश्चात अप्रार्थी सं0 2 ने अवार्ड पारित कर दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीया को कभी नहीं हुई । गांव में इस बाबत जब चर्चा सुनी तो प्रार्थीया ने अपने पति श्री महावीर सिंह सिसोदिया से जिक्र किया जो कोटा से करीब 500 किलोमीटर दूर कोटपूतली में रहते है । इस पर प्रार्थी के पति ने सक्षम प्राधिकारी अप्रार्थी सं0 2 के कार्यालय में जाकर तलाश किया तो मालूम पडा की प्रार्थीया का कुंआ DIG/L/2 पुख्ता कुंआ जो ख0नं0 142 ग्राम ढींगसी में स्थित है का मूल्य अप्रार्थी सं0 2 द्वारा 388034/– आंका गया किन्तु उस समय अवार्ड की गणना तालिका की नकल प्रार्थीया के पति को उपलब्ध नहीं करवाई गई । इस पर पुनः प्रार्थीया के पति ने गणना तालिका उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल प्राप्त होने पर प्रार्थीया भैचक्की रह गई । प्रार्थीया के पुख्ता कुंए को ट्यूबवेल की दर से मूल्यांकन किया गया है जबकि कुंए में अलग से 300 फीट बोरवेल स्थित था व कुंए में चार होरिजेन्टल बोर 200–200 फीट के है । इस पर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है व कुंए में उतरने के लिये सिढियां भी बनी हुई है । जिनका कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है जब कुंए की कीमत स्वयं मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ह्रास मूल्य काटकर 388034/–निर्धारित की गई है तो गणना तालिका में इसकी कीमत 184030/–स्वयंमेव गलत है । कुंए में आडे होल वर्टिकल बोर, कुंए की सिढियां, कुंए की कीमत, हरे पेड, आदि की कुल कीमत सोलेशियम सहित 112822298/– बनते है, लिहाजा याचिका मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थीया को मुआवजा दिलवाने की कृपा करें ।

5. वकील अप्रार्थी नं0 1 द्वारा अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि प्रार्थीनी के कुंए का सर्वे नम्बर DIG/L/2 है जिसे सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी परीक्षण प्श्चात क्रमांक/ भू अवाप्ति/2018/1248–50 दिनांक 12.10.2018 को मूल्यांकित परिसम्पत्तियों का अवार्ड जारी किया गया तथा ग्राम ढींगसी की परिसम्पत्ति की अवार्ड गणना तालिका के क्रम 7 पर इन्द्राज पत्नि महावीर सिंह की परिसम्पत्ति DIG/L/2 कुंआ का अंकन किया हुआ है । गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेल्यूअर श्री वी.पी. सिंह द्वारा उक्त परिसम्पत्ति ग्राम ढींगसी का मूल्यांकन कुंए की राशि 388035/– किया गया है जो कानून वेल्यूअर द्वारा किया गया है । इससे भिन्न राशि के लिए जो रिट याचिका में क्रम संख्या 1 लगायत 7 जो राशियां प्रार्थीया द्वारा दर्शायी गयी है जो कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है , क्योंकि अवार्ड दिनांक 12.10.2018 में 3डी की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । अतः प्रार्थीनी द्वारा कुंए की अवाप्ति की राशि की मनमानी दर प्रार्थना पत्र में मांग की जा रही है जो देय नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थीनी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 12 परियोजना के लिए अवाप्त भूमि के जारी अवार्ड क्रमांक/भू अवाप्ति/2017/563–66 दिनांक 20.09.2017 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एन. एच. 12 द्वारा अवाप्त की जानी वाली भूमि में स्थित संनिमार्ण का भी सर्वे गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेल्यूअर श्री वी.पी. सिंह के द्वारा करवाया गया है, जिस अनुसार कुंए की कीमत 388035/–आंकी गई हैं, जिसको अप्रार्थी सं0 1 द्वारा भी अपने जवाब में सही माना है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–52) के लिए अवाप्त अवाप्त भूमि का मुआवजा आर एफ सी टी एल ए आर एक्ट 2013 के तहत भुगतान किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के कुंए की कीमत वेल्यूअर द्वारा 388035/–आंकी गई है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 भूमि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा गणना तालिका के कॉलम संख्या 10 में संरचना की कीमत 184030/– मानी जाकर सोलेशियम सहित 368060/– का अवार्ड जारी किया गया है जो गलत प्रतीत होता है । किन्तु प्रार्थीनी द्वारा कुंए की कीमत, सीढियां, विभिन्न प्रकार के बोर, आदि की राशि जो 112822298/– बताई गई है जो मनगढंत है यह स्वीकार योग्य नहीं है । अतः वेल्यूअर की रिपोर्ट के आधार पर आर एफ सी टी एल ए आर एक्ट 2013 की धारा 29 के तहत गणना कर भुगतान किया जाना चाहिए था ।

7. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वेल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार आर एफ सी टी एल ए आर एक्ट 2013 की धारा 29 के तहत प्रार्थीनी के कुंए के मुआवजा राशि की गणना कर भुगतान की कार्यवाही करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 03.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner